कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III/सी.भ./2016 दिनांक 07.02.2018 एवं श्रीमान् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर के पत्रांक उनिशि/मा/बीका/संस्था–अ/प्र.स./सी.भ./2017/1037 दिनांक 08.02.2016 की पालना में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 में अभिस्तावित किये गये। जिला आवंटित पश्चात प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर चयनोपरान्त संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किए जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के पद पर **दो वर्ष के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी)** के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेशांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 के नियम–16 के शेड्युल–IV पे–मेटरिक्स के लेवल एल–8 के न्युनतम वेतन 18500/– रूपये प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान देय होगा। इन्हें परीवीक्षाकाल में देय फिक्स्ड रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व नियमानुसार सबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिए यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगें। जो अभ्यर्थी पूर्व में ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिए यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10 रूपये के नोनज्युडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

4. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की गयी है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10 रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र कार्यग्रहण से पूर्व में प्राप्त करेगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पाई गयी तो इन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।

6. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण प्रति से मिलानकर उनकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें।

7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

8. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 10 रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।

9. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगें।

10.संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (UNDERTAKING) निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेगें।

11. परिवीक्षाधीन अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यदि किसी नियुक्ति अभ्यर्थी को कलेण्डर वर्ष में अवधि कलेण्डर वर्ष से कम बनती है तो उसके पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञान किया जायेगा।

12. वित्त विभाग के आदेशांक एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 की पालना में परिवीक्षा अवधि में एन.पी.एस. की कटौती नियमानुसार करनी होगी।

क्र सं	मेरिट क्र.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थाई पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	वि वि
1	154	शीतल यादव	विमल कुमार	02-07-97	बीएड कॉलेज के पास, वीपीओ उदयरामसर, बीकानेर	OBC	GENF	GOVT. AADRASH SR.SEC. SCHOOL, BHAMATSAR, PANCHOO	
2	233	दिव्या भारती चौधरी	बाबूलाल चौधरी	14-02-98	सियाराम जी की गुफा के पास, प्रताप बस्ती, बीकानेर	OBC	GENF	SMT. HBG GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL NOKHA	
3	3	परसा राम बिश्नोई	मनोहर लाल बिश्नोई	27-07-89	ग्राम थरानगर पो. लोहावट तह. लोहावट जिला जोधपुर	OBC	GEN M	G.A.SR.SEC. SCHOOL, BAJJU, KOLAYAT	
4	35	रामकुमार भादू	जगदीश भादू	16-03-96	वार्ड न. 06, विविअरे कुदसू तह. नोखा, जिला बीकानेर	OBC	GEN M	G.SR. SEC.SCHOOL, JANGLU, PANCHOO	
5	134	सुरेश डेलू	जगदीश प्रसाद डेलू	10-02-95	श्याम जी हनुमान जी के मन्दिर के पास, वार्ड न. 26, नोखा, बीकानेर	OBC	GEN M	GOVERMENT ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL, SOMALSAR, Nokha	
6	174	नरेश गोदारा	सहीराम गोदारा	01-07-96	गांव सुरनाणा तह. लूणकरनसर,बीकानेर	OBC	GEN M	GOVT ADARSH SR.SEC.SCHOOL, HADAN, KOLAYAT	
7	239	सुनिल कुमार	बृजलाल बिश्नोई	30-09-95	ICICI बैंक के पीछे, वार्ड नं. 10 तह. अनुपगढ़, जिला गंगानगर	OBC	GEN M	G.SR.SEC.SCHOOL, BARSINGHSAR, BIKANER	
8	811	दिलीप कुमार	बीरबल राम	21-04-96	मकान नं. 95, वार्ड नं. 07 गांव कागासर, ग्राम पं. राजपुरा हुडान तह. लूणकरनसर,	OBC	OBC M	G.SR.SEC. SCHOOL, UPANI, Shri DUNGARGARH	
9	815	सोहन लाल जाट	कुम्भाराम जाट	02-12-95	वीर तेजा जी मन्दिर के पास, चौधरी कॉलोनी, गंगाशहर, बीकानेर	OBC	OBC M	G.SR. SEC. SCHOOL, KUDSU, PANCHOO	

क्र सं	मेरिट क्र.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थाई पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	वि वि
10	2336	जय राम मेघवाल	भूरा राम	**14-11-94**	गांव पोस्ट साधुना नोखा, बीकानेर	SC	SCM	**G. SR.SEC. SCHOOL, BANDHARA, PANCHOO**	
11	192	राजूराम गोदारा	कुम्भाराम गोदारा	**03-07-96**	वीर तेजा जी मन्दिर के पास, चौधरी कॉलोनी, गंगाशहर, बीकानेर	OBC	GEN M	**G.SR.SEC. SCHOOL, BADELA, Shri DUNGARGARH**	अनुपस्थित
12	1860	राजेन्द्र मेघवाल	नारायण राम	**16-11-90**	हरिराम जी मन्दिर के पीछे वार्ड नं. 03 गांव उदयरामसर जिला बीकानेर	SC	SCM	**GOVT. ADRASH SEN.SEC. SCHOOL, BHADLA, PANCHOO**	अनुपस्थित

इन्हें उक्त नियुक्ति दिए गए पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 28.02.2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सूचनाएं सही नही पाए जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

क्रम संख्या 03 पर अंकित अभ्यर्थी श्री परसाराम बिश्नोई पुत्र श्री मनोहर लाल बिश्नोई द्वारा विवाह पंजिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व विवाह पंजिकरण प्रमाण पत्र की प्रति मूल से मिलान कर कार्यालय रिकॉर्ड में रखते हुए प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवावें।

संस्था प्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए शाला दर्पण पर अपडेट करेंगें।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

क्रमांक जिशिअ/मा/बीका/संस्था–2/प्र0शा0स0ग्रेड–III/भर्ती वर्ष 2016/2018/5390-5400 दिनांक 12.02.2018

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. श्रीमान् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर मण्डल, बीकानेर।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. संबंधित अभ्यर्थी। **(रजिस्टर्ड डाक)**
10. वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर